



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 20 अप्रैल, 2026

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपके पास आपकी जेल के निम्नलिखित कैदी का लाइसेन्स भेजूं और आपको यह सूचित करूँ कि यू0 पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 (सन् 1938 का एक्ट-8) की धारा-2 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल इस बन्दी के यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन रूल्स के नियम-8 के अनुसार लाइसेन्स के द्वारा मुक्त किये जाने की अनुज्ञा प्रदान करते हैं।

बन्दी का नाम-भुजऊ उर्फ शरीफ (बन्दी संख्या-567/2010)

बन्दी के पिता का नाम-श्री झब्बर

निवासी-ग्राम वजीरपुर, थाना-सोनवा, जनपद-श्रावस्ती वर्तमान पता-निवासी-वजीरपुर, थाना-दरगाह शरीफ, जनपद-बहराइच।

2- कृपया इन आदेशों की प्राप्ति स्वीकार करें।

संलग्नक: लाइसेन्स की मूल प्रति।

भवदीय,

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(लाइसेन्स की द्वितीय प्रति के साथ)

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, 30प्र0 लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती/बहराइच।
- 3- पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती/बहराइच।
- 4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।
- 5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, 30प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

फार्म-घ (डी)
(देखिए नियम -7)

यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अधीन शर्तों पर छोड़े जाने का लाइसेन्स।

यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, इस प्रतिबन्ध के साथ कि आगे लिखी शर्तों का पालन किया जायेगा, बन्दी भुजऊ उर्फ शरीफ जिसके पिता का नाम श्री झब्बर है और दिनांक 10.04.2022 को बन्दी की आयु 52 वर्ष है, निवासी-ग्राम वजीरपुर, थाना-सोनवा, जनपद-श्रावस्ती वर्तमान पता-निवासी-वजीरपुर, थाना-दरगाह शरीफ, जनपद-बहराइच का है, जिसकी बन्दी संख्या-567/2010 है, जो केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में बन्द है, बन्दी द्वारा दिनांक 10.04.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष, 08 माह, 02 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 01 माह, 23 दिन की सजा काटी गयी है, को छोड़ने की स्वीकृति और निर्देश देते हैं और उक्त बन्दी का अभिभावक जिला प्रोबेशन अधिकारी, श्रावस्ती को नियुक्त किया जाता है, की देखरेख और अधिकार में रखते हैं।

यह लाइसेंस यदि वह पहले ही निरस्त न कर दिया गया हो, तो बन्दी की मृत्यु के पश्चात् समाप्त हो जायेगा।

शर्तें जिनका पालन लाइसेंसदार को करना होगा:-

- 1- लाइसेंस की अवधि में लाइसेंसदार उपर्युक्त अभिभावक की देख-रेख और अधिकार में रहेगा। वह उन सभी आदेशों का अनुपालन करेगा, जो अभिभावक उसके निवास स्थान, रोजगार और चाल-चलन के विषय में उसे मौखिक रूप से या लिख कर दें।
- 2- उसके अभिभावक ने जिन स्थानों की सीमाओं के भीतर रहने का उसे आदेश दिया हो उसके बाहर वह बिना उसकी अनुमति के नहीं जायेगा। वह उस स्थान पर चला जायेगा, जहां जाने का निदेश उसे अभिभावक ने दिया हो और वह उस मार्ग से जायेगा, जिसे उसके अभिभावक ने निर्धारित कर दिया हो।
- 3- वह उस समय और उन स्थानों पर और उन व्यक्तियों के सम्मुख उपस्थित होगा, जिनके सम्बन्ध में अभिभावक समय-समय पर निदेश करे।
- 4- वह स्वयं यथोचित परिश्रम से अभिभावक के संतोषानुसार उस काम को करेगा जिसमें लगाने का अभिभावक उसे निर्देश करें।
- 5- वह कोई ऐसा अपराध न करेगा, जो किसी ऐसे कानून द्वारा दण्डनीय हो, जो भारत में इस समय लागू हो।
- 6- वह ऐसे व्यक्तियों के साथ किसी भी रूप में मेल न रखेगा, जिनके विषय में यह प्रसिद्ध हो कि वे बदमाश हैं या दुराचारपूर्ण या कुत्सित जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
- 7- यदि राज्य सरकार यह समझे कि उसने उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार सम्बन्धित व्यक्ति को अपना मामला, जिस जिले में वह उस समय रह रहा है, उसके जिला मजिस्ट्रेट के सम्मुख रखने का एक अवसर देने के उपरान्त उसके लाइसेंस का निरसन कर सकती है और यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-4 के उपबन्धों का पालन करते हुए कैद की बाकी सजा भुगतने के लिए उसे फिर से जेल में बन्द किये जाने का निदेश दे सकती है।
- 8- इस लाइसेंस के निरसन पर उक्त कैदी निरसन के आदेश पत्र में बताई हुई उस तारीख पर या उससे पहले ही जेल में वापस आ जायेगा।
- 9- अभिभावक की मृत्यु हो जाने की दशा में लाइसेंसदार उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को, जहां कि वह रहता है, इस बात की सूचना तुरन्त देगा और यदि सम्भव हो तो मृतक के स्थान पर किसी दूसरे उपयुक्त अभिभावक का नाम प्रस्तावित करेगा और प्रस्तावित अभिभावक के सम्बन्ध में पूरी जानकारी देगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अभिभावक का कर्तव्य

लाइसेन्स की शर्तों का पालन पूर्ण रूप से कराना अभिभावक का कर्तव्य होगा। वह लाइसेंसदार के चाल-चलन और उसकी भलाई का ध्यान रखेगा और साधारणतया उसके स्थानीय संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। यदि लाइसेंसदार का आचरण खराब पाया जाये तो अभिभावक का कर्तव्य होगा कि इस बात की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट से करें।

यदि इस एक्ट के अधीन लाइसेन्स पर छोड़ा गया कोई कैदी अभिभावक की देख-रेख या अधिकार से निकल भागे या उसका लाइसेंस निरस्त कर दिये जाने पर जेल वापस न लौटे तो अभिभावक तुरन्त उसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेंडेंट को देगा और निकटतम थाने में रिपोर्ट करेगा और कैदी के विरुद्ध उसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी, जिस प्रकार पुलिस के हस्तक्षेप योग्य मामले में की जाती है।

कमलेश कुमार
उप सचिव
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।